राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 852/2023

पंकज शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग (पंचायत राज), शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, पंचायत राज विभाग, जयपुर।
3. जिला परिषद, अलवर जरिये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अलवर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 06.02.2023
आदेश की दिनांक : 02.06.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री विक्रम सिंह राठौड़, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 04.01.2023 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को बहाल कर यथावत कार्य कनिष्ठ सहायक के पद पर जिला परिषद, अलवर में करने के निर्देश दिए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का अभिकथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में कनिष्ठ सहायक के पद पर (निलंबनाधीन), जिला परिषद, अलवर में कार्यरत है। उनका कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 04.01.2023 द्वारा अपीलार्थी को निलंबित कर दिया गया जबकि अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 02.12.2022 के विरूद्ध दिनांक 21.12.2022 को स्थगन आदेश जारी किया गया है। अपीलार्थी की डीआरडीए में प्रारंभिक नियुक्ति हुई थी और बाद में उसे जिला परिषद में समायोजित कर दिया गया। अपीलार्थी अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ का जिला अध्यक्ष है। अपीलार्थी ने जिला कलक्टर, अलवर को दिनांक 03.11.2022 को शिकायत दी, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा परेशान करने के संबंध में थी। उनका कथन है कि सीईओ, जिला परिषद की शिकायत के आधार पर

अपीलार्थी को सीसीए नियम, 1958 के नियम 13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निलंबित कर दिया गया। अपीलार्थी ने निलंबन आदेश दिनांक 02.12.2022 के विरूद्ध अपील संख्या 6416/2022 अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की, जिसको अधिकरण द्वारा स्थगित कर दिया गया, जो अभी तक लंबित है और पुनः विभाग द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 04.01.2023 के द्वारा निलंबित कर दिया गया। अपीलार्थी ने उक्त आलोच्य आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 2227/2023 प्रस्तुत की, जिसके क्रम में माननीय उच्च न्यायालय ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया। इस प्रकार अपीलार्थी ने व्यथित होकर अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 04.01.2023 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को बहाल कर यथावत कार्य कनिष्ठ सहायक के पद पर जिला परिषद, अलवर में करने के निर्देश दिए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए बहस की है कि निलंबन आदेश कोई दण्ड़ की परिभाषा में नहीं आता है। अपीलार्थी के विरूद्ध जारी विभागीय कार्यवाही में विभाग के नियमों के अनुसार सुनवाई का एवं अपने बचाव का पूर्ण अवसर दिया जाता है। अपीलार्थी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिनांक 04.01.2023 से निलंबित किया गया, जो पूर्णतया नियमानुसार व वैध है। अपीलार्थी विभिन्न प्रकार के संगठन एवं राजनैतिक गतिविधियों में संलिप्त रहता है। इनकी उपस्थिति से कार्यालय में कार्य करने का माहौल नहीं रहता है। अपीलार्थी अपने उच्च अधिकारियों के प्रति सम्मान का भाव नहीं रखता है और उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना किए जाने का आदी है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध लिखित शिकायत दी गई, जिसमें यह कहा गया कि अपीलार्थी अपने साथ खेमचंद सोमवंशी एवं दो–तीन अन्य व्यक्तियों के साथ मेरे चैम्बर में बिना अनुमति के आया और कहा गया कि आप यूनियन के अध्यक्ष को कोई भी पत्र कैसे दे सकते हैं। हमारा अध्यक्ष पंकज शर्मा है और रहेगा। इससे पहले सीईओ गौरव सैनी भी कुछ नही बिगाड़ सका तो आप क्या हो। इस प्रकार दोनों उत्तेजित होकर अभ्रदतापूर्वक बात करते हुए टेबल पर जोर–जोर से मुक्के मारने लगे और तेज आवाज करने पर स्टाफ अंदर आ गया। उनके सामने भी बहस बाजी भी करते रहे। उक्त शिकायत के बाद अपीलार्थी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिनांक 04.01.2023 के द्वारा निलंबित किया गया। कार्मिक के निलंबन के संबंध में जिला स्थापना समिति निर्णय लेने में सक्षम है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब का उल जवाब प्रस्तुत करते हुए तर्क किया है कि अपीलार्थी ने कभी कोई शिकायत नहीं दी और न ही खेमचंद सोमवंशी ने दी। अपीलार्थी पर तीन तरह के आरोप लगाए गए। प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी पर पत्रावली के 14 पत्र गुम होने तथा अपीलार्थी पर संदेह करने का आरोप लगाया गया जबकि एक भी आरोप अपीलार्थी पर साबित नहीं होता है। अपीलार्थी ने न तो कोई दुर्व्यवहार किया है और न ही कोई अधिकार जताया है, फिर भी बिना किसी कारण के अपीलार्थी पर उक्त आरोप लगाते हुए निलंबित कर दिया गया है, जो राजस्थान सेवा नियमों के विरूद्ध है।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में कनिष्ठ सहायक के पद पर (निलंबनाधीन), जिला परिषद, अलवर में कार्यरत है। आदेश दिनांक 04.01.2023 द्वारा अपीलार्थी को निलंबित किया गया जबकि अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 02.12.2022 के विरूद्ध दिनांक 21.12.2022 को स्थगन आदेश जारी किया गया है। अपीलार्थी अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ का जिला अध्यक्ष है। जहां तक अपीलार्थी को निलंबित किए जाने का प्रश्न है, अनुलग्नक आर/2 दिनांक 29.11.2022, अनुलग्नक–3 दिनांक 09.11.2022, अनुलग्नक–4 दिनांक 02.12.2022, ज्ञापन दिनांक 09.01.2023 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अंतर्गत अनुशासनिक जांच कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया गया है। अपीलार्थी अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा एवं कार्यालय में उससे उच्च अधिकारियों के प्रति सम्मान तथा व्यवहार एवं कार्यालय के कार्यों को नियमित रूप से पूरी जिम्मेदारी एवं जवाबदारी से नहीं किया जाना प्रतीत होता है एवं उसका अपने से उच्च अधिकारियों के प्रति सम्मान और व्यवहार भी उचित प्रतीत नहीं होता है, जिसके फलस्वरूप अपीलार्थी के विरूद्ध सीसीए नियम 16 के तहत एवं राजस्थान सिविल

सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला संस्थापन समिति द्वारा निलंबन किए जाने का निर्णय लिया गया, जो सक्षम स्तर से जारी होना प्रकट होता है। अतः अपीलार्थी की अपील में बल न होने के कारण खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद् द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य